

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक/2937/3212/2017/डी-याए  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/12/2017

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
म.प्र. शासन।

- विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में समेकित वित्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के माध्यम से बजट प्रक्रिया के संबंध में।  
संदर्भ:- म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 978/815/11/ब-1/चार भोपाल, दिनांक 17.10.2017.

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञाप की कडिका 4 अनुसार समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्ताव आयुक्त, कोष एवं लेखा के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) सॉफ्टवेयर में तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित किया जाने के निर्देश दिये गये हैं।

बजट प्रक्रिया के संचालन हेतु प्रशासकीय विभाग स्तर पर बजट से जुड़े अधिकारियों का पदानुक्रम (हायरारकी) बनाया जाना आवश्यक है। हायरारकी बनाये जाने हेतु तीन अधिकारियों को क्रियेटर, वेरीफायर, एप्रुवर बनाया जाना होगा। यह कार्य आई.एफ.एम.आई.एस. हेतु प्रशासकीय विभाग के एडमिनिस्ट्रेटर "एडमिन" द्वारा किया जायेगा।

अतः प्रशासकीय विभाग में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी को "एडमिन" नामांकित कर संलग्न प्रारूप में जानकारी आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र. पर्यावास भवन, भोपाल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अर्जित  
(ए.पी. श्रीवास्तव)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
म.प्र. शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 6/12/2017

पृ.क्रमांक/2938/3212/2017/डी-याए  
प्रतिलिपि:-

01 आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अर्जित  
(ए.पी. श्रीवास्तव)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

प्रशासकीय विभाग के स्तर पर **Admin** बनाने के लिये प्रारूप

प्रशासकीय विभाग:—
कार्यालय का नाम:—
अधिकारी का नाम:—
यूनिक कर्मचारी कोड:—
पदनाम:—
कोषालय का नाम जहां से वेतन आहरण हो रहा है।

प्रशासकीय विभाग के **Creator, Verifier & Approver** की जानकारी

	अधिकारी का नाम	यूनिक कर्मचारी कोड
<b>Creator</b>		
<b>Verifier</b>		
<b>Approver</b>		